उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

20 जून, 2024 ई0

स. F-9(34) (i)/RG/UERC/2024/410: विद्युत् अधिनियम 2023 की धारा 86(1)(e) के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व पूर्व प्रकाशन के उपरांत उत्तराखंड विद्युत् नियामक आयोग, उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) अधिनियम, 2023 (मुख्य विनियम) तथा उस में किये गए पश्चातवर्ती संशोधन, यदि कोई हों, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निर्वाचन:

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन केन्द्रों से विद्युत् आपूर्ति के लिए टैरिफ व अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 होगा.

(2) ये अधिनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक की पहले समीक्षा न कर ली जाये अथवा आयोग द्वारा इनकी अवधि बढ़ाई न जाये, प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रवृत्त होंगे.

(यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

2. मुख्य विनियम के विनियम 10 में संशोधन:

संशोधित विनियम 01.04.2024 से प्रवृत्त होगा तथा निम्नलिखित रूप में पढ़ा जायेगा:

"10. 'गैर जीवाश्म आधारित सह-उत्पादन से वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की जाने वाली विद्युत् और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् के उत्पादन की न्यूनतम मात्रा'

(1) अधिनियम के उपबंधों, राष्ट्रीय विद्युत् नीति, ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोतों के विकास की प्रोन्नति हेतु टैरिफ नीति के अनुरूप सभी वर्तमान और भविष्य के वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, जिन्हें इसमें इसके आगे 'बाध्य कंपनी कहा गया है, वे राज्य में विनियम 4 में परिभाषित रूप में योग्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, नीचे दिए गए अनुसार अपने स्वयं के उपभोग हेतु अपनी कुल विद्युत् आवश्यकता के न्यूनतम प्रतिशत की अधिप्राप्ति हेतु बाध्य होंगे. इसे बाध्य कंपनियों की नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) कहा जायेगा.

वर्ष	पवन आरपीओ	जल विद्युत् क्रय बाध्यता	वितरित आरपीओ	अन्य आरपीओ	आरपीओ का योग
2024-25	0.67%	0.38%	0.75%	28.10 %	29.91%
2025-26	1.45 %	1.22 %	1.05 %	29.29 %	33.01%
2026-27	1.97%	1.34%	1.35 %	31.29%	35.95%
2027-28	2.45%	1.42%	1.65 %	33.29%	38.81%
2028-29	2.95%	1.42%	1.95%	35.05%	41.36%
2029-30	3.48%	1.33%	2.25%	36.27%	43.33%

(क) पवन आरपीओ 31 मार्च 2022 के पश्चात कमीशंड ऊर्जा परियोजनाओं (WPPs) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा ही पूरा किया जायेगा.

(ख) एचपीओ 8 मार्च 2019 के पश्चात कमीशंड HHPs (जिसमें PSPs और लघु जल परियोजनाएं (SHPs) सम्मिलित हैं) से क्रय की गई ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायेगा.

परन्तु वितरण अनुज्ञापी की एचपीओ बाध्यता को 08 मार्च 2019 के पश्चात कमीशंड HPPs (जिसमें PSPsऔर SHPs सम्मिलित हैं) से राज्य को प्रदान की जा रही नि:शुल्क ऊर्जा से भी पूरा किया जा सकेगा.

परन्तु आगे यह भी कि जल-विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा घटक को, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग आधार पर अनुमोदित, भारत से बाहर स्थित जल-विद्युत परियोजनाओं से भी पूरा किया जा सकेगा.

(ग) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक को केवल ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा से पूरा किया जायेगा जो क्षमता में 10 मेगा वाट से कम की हों और इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी विन्यासों (नेट मीटरिंग, सकल मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, सामूहिक नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की संस्थापना अथवा कोई अन्य विन्यास) के अधीन सौर संस्थापनाएं सम्मिलित होंगी.

परन्तु वितरित नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपालन सामान्यतया ऊर्जा (kWh/kW/day) के सम्बन्ध में किया जायेगा.

परन्तु आगे यह कि यदि बाध्य कंपनी वितरित नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनाओं के समक्ष उत्पादन डाटा प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो बताई गई क्षमता को 3.5 यूनिट्स प्रति kW/day के गुणक द्वारा ऊर्जा के सम्बन्ध में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित कर दिया जायेगा.

(घ) अन्य आरपीओ को किसी ऐसी आरई ऊर्जा परियोजना जो ऊपर (क), (ख) व (ग) में उल्लिखित नहीं है से उत्पादित ऊर्जा द्वारा पूरा किया जायेगा और इसमें नि:शुल्क ऊर्जा सहित सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं, HPPs (जिसमें PSPs और SHPs सम्मिलित हैं) का समावेश होगा.

ऊपर अनुबंधित प्रतिशत आरपीओ, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान बाध्य कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय की गई /उत्पादित कुल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् के गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादन और उत्पादन से क्रय की न्यूनतम मात्रा प्रकट करता है.

जहाँ, भिन्न-भिन्न बाध्य कंपनियों के लिए क्रय की गई कुल ऊर्जा निम्नानुसार होगी:

(क) डिस्कॉम्स के लिए स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से क्रय की गई कुल ऊर्जा; और

(ख) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए, उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की गई कुल ऊर्जा, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर रिकॉर्ड किया गया मीटर्ड उपभोग होगी.

(ग) कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से क्रय की गई कुल ऊर्जा, स्वयं के उपभोग हेतु वर्ष के दौरान निकासी/उपभोग बिंदु पर रिकॉर्ड किया गया मीटर्ड उपभोग होगी.

परन्तु किसी वर्ष विशेष में 'पवन आरपीओ' के पूरा होने में रह गई किसी कमी को जल विद्युत् परियोजनाओं से उपभोग की गई अधिक ऊर्जा से या इसके विपरीत क्रम में पूरा किया जा सकता है तथा एक वर्ष विशेष में आरपीओ या एचपीओ के अधीन शेष अधिक ऊर्जा उपभोग को 'अन्य आरपीओ' को पूरा करने में हुई किसी कमी के समक्ष निर्धारित किया जा सकता है.

परन्तु एक वर्ष विशेष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी के अधीन किसी अधिक ऊर्जा उपभोग को विनिर्दिष्ट पवन आरपीओ अथवा जल विद्युत् आरपीओ को पूरा करने में हुई किसी कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है

परन्तु वे बाध्य कम्पनियाँ जो उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता अथवा कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र के साथ उपभोक्ता हैं, अपनी बाध्यता को गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत का विचार किये बिना विनिर्दिष्ट कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार पूरा करेंगी.

(2) इस आरपीओ संरचना के प्रयोजन से, प्रत्येक बाध्य कंपनी हेतु स्वयं के उपभोग से अभिप्राय है- आपूर्ति के उस क्षेत्र के भीतर अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति के उद्देश्य से अपने स्वयं के उपभोग हेतु बाध्य कंपनी द्वारा सभी स्रोतों से उपभोग या क्रय की गई सकल ऊर्जा, इसमें अनुज्ञापियों या बाहर के उपभोक्ताओं के मध्य विद्युत् का परस्पर विक्रय सम्मिलित नहीं है.

(3) वितरण अनुज्ञापी अपने 'सौर आरपीओ' अनुपालन को पूरा करने के लिए अबाध्य कंपनियों के जीआरपीवी/जीएसपीवी/समूह नेट मीटरिंग/वर्चुअल नेट मीटरिंग से उत्पादित सकल सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए योग्य होगा. यह सकल ऊर्जा ऐसी जीआरपीवी/जीएसपीवी/समूह नेट मीटरिंग/वर्चुअल नेट मीटरिंग से उत्पादित मीटर रीडिंग पर आधारित होगी.

(4) उपभोग की गई कुल ऊर्जा का निम्नलिखित प्रतिशत स्टोरेज के साथ/माध्यम से सौर/पवन ऊर्जा होगी.

वित्त वर्ष	*स्टोरेज (ऊर्जा आधार पर)*
2024-25	*1.5%*
2025-26	*2.0%*
2026-27	*2.5%*
2027-28	*3.0%*
2028-29	*3.5%*
2029-30	*4.0%*

(5) ऊर्जा स्टोरेज बाध्यता का परिकलन विद्युत् के कुल उपभोग के प्रतिशत के रूप में किया जायेगा और इसे पूरा कर लिया गया तभी समझा जायेगा जब वार्षिक आधार पर ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली (ईएसएस) में कुल ऊर्जा स्टोरेज का न्यूनतम 85% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिप्राप्त कर लिया जाएगा.

(6) आरई स्रोतों से स्टोर की गई ऊर्जा की सीमा तक ऊर्जा स्टोरेज बाध्यता को इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन उल्लिखित रूप में कुल आरपीओ का आंशिक रूप से पूरा किया गया माना जायेगा.

(7) उरेडा, आरपीओ बाध्यता के अनुपालन से सम्बंधित डाटा का रखरखाव करेगा."

3. मुख्य विनियम के विनियम 37 में संशोधन:

संशोधित विनियम को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा:

"37 ग्रिड इंटरैक्टिव रूफ-टॉप सौर पीवी संयंत्र (जीआरपीवी) /ग्रिड इंटरैक्टिव लघु और पीवी संयंत्र (जीएसपीवी)

(1) 01.04.2023 पर कमीशंड या उसके पश्चात् कमीशंड होने वाली जीआरपीवी/जीएसपीवी के लिए सामान्य टैरिफ के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मापदंड निम्नानुसार होंगे:

परियोजना आकार	पूंजीगत लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एंड एम् व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
	रु. लाख/किलोवाट	रु. लाख/किलोवाट	
10 kW तक	47691	2149	19%
>10 kW और 100 kW तक	43753	1912	
>100 kW और 500 kW तक	41276	1735	
>500 kW और 1MW तक	40074	1624	

(2) किसी योग्य उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा अंत:क्षेपित करने के लिए जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित किया जा सकता है.

परन्तु किसी योग्य उपभोक्ता के परिसर पर अधिकतम जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत भार/संविदा मांग के अधिकतम 100% तक होगी.

परन्तु घरेलू उपभोक्ता के मामले में जीआरपीवी / जीएसपीवी की ऐसी संस्थापित क्षमता उपभोक्ता के स्वीकृत भार / संविदा मांग की अपेक्षा किये बिना होगी.

परन्तु आगे यह भी कि किसी योग्य उपभोक्ता के परिसर पर अधिकतम जीआरपीवी / जीएसपीवी संस्थापित क्षमता 1 एम् डब्ल्यू से अधिक नहीं होगी.

(3) योग्य उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष के स्वामित्व वाले जीआरपीवी / जीएसपीवी से अंत:क्षेपण प्रत्येक बिलिंग अवधि के अंत में शुद्ध ऊर्जा आधार पर तय किया जायेगा.

(4) वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति के सम्बन्ध में, आयोग द्वारा टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ एक बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई शुद्ध ऊर्जा के लिए लागू होगा, यदि अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा उपभोक्ता अथवा तृतीय पक्ष के जीआरपीवी / जीएसपीवी द्वारा अंत:क्षेपित ऊर्जा से अधिक है:

परन्तु ऐसे योग्य उपभोक्ताओं को परिसर पर संस्थापित जीआरपीवी / जीएसपीवी की क्षमता के बराबर न्यूनतम प्रभार / मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार, यदि कोई हैं, की अदायगी पर छूट प्राप्त होगी.

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे योग्य उपभोक्ताओं पर ऊर्जा के कैप्टिव उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन प्रभार सहित कोई अधिभार उदग्रहित नहीं किया जायेगा.

(5) यदि किसी बिलिंग अवधि में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा, उपरोक्त उप-विनियम (3) के अधीन उपभोक्ता/प्रोस्युमर या तृतीय पक्ष के जीआरपीवी / जीएसपीवी द्वारा अंत:क्षेपित ऊर्जा से कम है तो ऐसे प्रोस्युमर को अनुज्ञापी ऐसी शुद्ध ऊर्जा की आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य टैरिफ या टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात दर, दोनों में जो कम हो, पर भुगतान करेगा.

(6) जीआरपीवी / जीएसपीवी पर, मानित उत्पादन के उपबंध लागू नहीं होंगे.

(7) जीआरपीवी / जीएसपीवी की संचयी क्षमता जिसे एक सिंगल ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा सकता हो, ऐसे ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक नहीं होगी.

(8) यदि जीआरपीवी / जीएसपीवी के संयोजन के उद्देश्य से किसी आवर्धन की आवश्यकता होती है तो वितरण अनुज्ञापी समीपस्थ उप-केंद्र से अंत:संयोजन के बिंदु तक ऐसे प्रणाली सुदृढ़ीकरण / आवर्धन पर हुए पूंजीगत व्यय की व्यवस्था करेगा और उसे वहन करेगा.

(9) घरेलू श्रेणी के अधीन उपभोक्ताओं, सरकारी कार्यालयों / सरकारी प्राधिकारियों के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग संरचना लागू होगी.

(10) मुख्य गतिविधियों के लिए कालक्रम समय-समय पर संशोधित विद्युत् (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 के अधीन विनिर्दिष्ट किये गए समय के द्वारा शासित होगा.

(11) 10 kW तक की क्षमता के जीआरपीवी/जीएसपीवी के लिए सभी तरह से पूर्ण आवेदन किसी तकनीकी साध्यता रपट के बिना स्वीकार कर लिए माने जायेंगे और अपेक्षानुसार उपभोक्ता के स्वीकृत भार की कोई अनुरूप वृद्धि, समय-समय पर संशोधित उविनिआ (विद्युत् आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा सम्बंधित मामले) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार वितरण अनुज्ञापी द्वारा की जाएगी.

परन्तु समय-समय पर संशोधित उविनिआ (विद्युत् आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा सम्बंधित मामले) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार भार में वृद्धि के प्रभार और भार में वृद्धि की प्रतिभूति जमा के प्रभार का भुगतान करने के लिए प्रोस्युमर जिम्मेदार होगा.

(12) तकनीकी साध्यता रपट या आवेदन को स्वीकार मान लिए जाने से लेकर संस्थापन पूर्ण हो जाने की अवधि के दौरान यदि वितरण संरचना के उच्चीकरण जैसे कि सेवा लाइन का आवर्धन, वितरण ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और इसी प्रकार रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम की अपेक्षित क्षमता की संस्थापना हेतु कोई आवश्यकता होती है तो इसे, यथास्थिति, वितरण अनुज्ञापी अथवा उपभोक्ता द्वारा पूरा किया जायेगा.

परन्तु वितरण संरचना, जिसमें रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम की अपेक्षित क्षमता की संस्थापना हेतु आवश्यक वितरण ट्रांसफार्मर सम्मिलित है, के सुदृढ़ीकरण की लागत को वितरण अनुज्ञापी के वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं में सम्मिलित किया जायेगा.

(13) रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम की संस्थापना के पश्चात उपभोक्ता ऐसे वितरण अनुज्ञापी के पास संस्थापना प्रमाणपत्र जमा करेगा और वह वितरण अनुज्ञापी, संस्थापना प्रमाणपत्र जमा किये जाने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम संयोजन करार पर हस्ताक्षर, मीटर की संस्थापना, रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टेक सिस्टम की सफल कमीशनिंग का कार्य पूरा करेगा."

आयोग के आज्ञा से,
नीरज सती,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 20–07–2024, भाग 1–क में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 ऊर्जा / 358–08–08–2024–250 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।